**झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची**

**आपराधिक अपील (डी0 बी0) संख्या–626 / 2018**

**के साथ**

**आई0 ए0 संख्या–4407 / 2018**

झारखण्ड राज्य,
उपायुक्त, राँची के माध्यम से ..... अपीलकर्त्ता

बनाम्

कृष्ण कुमार महतो ..... उत्तरदाता

**कोरमः** **माननीय न्यायमूर्ति श्री एच0 सी0 मिश्रा**
**माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ के0 गुप्ता**

अपीलार्थी के लिए : श्री पंकज कुमार, ए0पी0पी0।
प्रतिवादी के लिए : श्री जयंत कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता।

**12 / 13.02.2019** अपीलकर्त्ता राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता और आरोपी प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. यह अपील अभियुक्त–प्रतिवादी की सजा को बढ़ाने के लिए दायर की गई है, जिसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 और 201 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। जहाँ तक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के तहत अपराध का सवाल है, अभियुक्त–प्रतिवादी को जुर्माने के साथ दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त–प्रतिवादी ने एक अलग आपराधिक अपील (डी0 बी0) संख्या–620 / 2015 दाखिल करके अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी है, जिसे इस अदालत में एडमिट कर लिया गया और जो अभी लंबित है। वर्तमान अपील में, अपीलकर्त्ता–राज्य ने धारा 302, 201 / 34 भारतीय दण्ड विधान के तहत आरोप के पुनः निर्धारण के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेजने के लिए भी प्रार्थना की है। यह अपील 835 दिनों की देरी के बाद दायर की गई है, और इस देरी से छूट देने के लिए, आई0 ए0 संख्या–4407 / 2018 दायर किया गया है।

3. आक्षेपित निर्णय से और अभिलेख से भी यह स्पष्ट है कि शुरू में केवल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 / 34 और 201 के तहत अपराधों के लिए आरोप तय किया गया था, जिसके लिए अभियुक्त–प्रतिवादी को दोषी पाया गया, दोषी ठहाराया गया और सजा सुनाई गई। जाहिर है, पूरे विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष द्वारा भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 के तहत आरोप तय करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई थी और इस तरह, इस स्तर पर, भारतीय दण्ड संहिता की धारा

302/34 और 201 के तहत आरोप को पुनः निर्धारण के लिए संबंधित न्यायालय को मामले को वापस भेजने के लिए प्रार्थना, विशेष रूप से, इस अपील में, जो 835 दिनों की देरी से दायर की गई है, उचित नहीं होगा।

4. जहाँ तक बिलंव से छूट देने के लिए प्रार्थना का संबंध है, हम पाते हैं कि देरी की व्याख्या करने के लिए, यह केवल प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील (डी0बी0) सं0–620/2015 की जमानत याचिका पर विचार करते समय पारित कुछ मौखिक टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए अपील दायर की गई है, हमारा यह सुविचारित मत है कि इस अपील को दायर करने में हुए बिलंव से छूट देने के लिए यह कोई आधार नहीं हैं

5. इस मामले के तथ्यों में, इस अपील को दायर करने में 835 दिनों की बिलंव से छूट देने हेतु कोई मामला नहीं बनता है। तद्नुसार, आई0 ए0 संख्या–4407/2018, जो बिलंव से छूट देने हेतु दाखिल किया गया था, उसे खारिज किया जाता है।

6. नतीजतन, इस अपील को भी, परिसीमा द्वारा निराशाजनक रूप से कालबाधित होने के कारण खारिज किया जाता है।

(एच0 सी0 मिश्रा, न्याया0)

(अमिताभ के0 गुप्ता, न्याया0)